रजिस्टर्ड

राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें, राजस्थान, जयपुर।

क्रमांकः–संस्था/चि0अ0/एलो/प03/2017/331 दिनांक–22/09/2017

–: आदेश :–

राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर द्वारा की गई सिफारिश पर वर्ष 2012 में चिकित्सा अधिकारी (दन्त) के पद पर मुख्य सूची में डॉ0 अमित गुप्ता, चिकित्सा अधिकारी (दन्त) का नाम अंकित कर चयन सूची में नाम नहीं भिजवाया गया। राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर द्वारा दूसरी सूची में डॉ0 अमित गुप्ता, चिकित्सा अधिकारी (दन्त) का नाम भिजवाया गया। उक्त दन्त चिकित्सक का नाम चयन कर भिजवाने पर चिकित्सा अधिकारी (दन्त) के पद पर वेतनमान 15600–39100 में कार्मिक विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 7(2)डीओपी/ए–11/2005 दिनांक 20/01/06 के प्रावधानान्तर्गत राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दरों पर नियत पारिश्रमिक (Fixed Remuneration) रूपये 16800/– प्रतिमाह की दर पर अस्थाई रूप से दो वर्ष के प्रोबेशन काल पर कार्यग्रहण करने की तिथि से प्रदान कर पदस्थापन इनके नाम के सम्मुख अंकित स्थान पर किया जाता है–

S.No	NAME	FATHER'S NAME	SEX	DOB	CATEGORY	POSTING PLACE
1	DR. AMIT GUPTA	SH. RAMESH CHAND GUPTA	M	-	GEN.	GENERAL HOSPITAL LADNU, NAGAUR

उक्त नियुक्ति आदेश माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ के एसबी सिविल रिट पिटिशन संख्या 5693/2013 में पारित निर्णय दिनांक 27/03/2015 एवं राज्य सरकार के पत्रांक प0 12(4)चिस्वा/2/2014/आईडी–1616 दिनांक 29.08.17 के अनुसरण में जारी किये जाते है।

उक्त नियुक्ति निम्न शर्तों के अध्याधीन जारी की जाती हैः–

1. चिकित्सक को प्रथमतः अपनी उपस्थिति प्रमुख चिकित्सा अधिकारी लाडनूं, नागौर को देनी होगी, सीधे ही पदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण नही किया जाना है।
2. परिवीक्षा प्रशिक्षण अवधि में अन्य सुविधायें एवं अवकाश आदि राजस्थान सेवा नियमों आदि में संशोधित प्रावधानों के अनुसार देय होंगे।
3. परिवीक्षा प्रशिक्षण अवधि के संतोषजनक पूर्ण होने के उपरांत ही पद की वेतन श्रृंखला का न्यूनतम एवं अन्य भत्ते नियमानुसार देय होंगे।
4. वित्त विभाग के परिपत्र संख्या एफ.13(1)एफडी/रूल्स/2003 दिनांक 28.01.04 के अनुसार उक्त नवनियुक्त चिकित्सक पर अंशदायी पेंशन योजना परिवीक्षा अवधि पूर्ण होने के बाद लागू होगी।
5. चिकित्सक की जन्म तारीख उनके सैकण्डरी/हाई स्कूल के प्रमाण पत्रों से संबंधित प्रशासनिक अधिकारी द्वारा सत्यापित किया जाना है।
6. दिनांक 01.06.2002 अथवा उसके पश्चात दो से अधिक संतान होने पर चिकित्सक नियुक्ति के लिये पात्र नही होंगे। इस आशय का 100/– रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर (नोटेरी पब्लिक द्वारा सत्यापित हो) शपथ पत्र चिकित्सक से उपस्थिति के समय प्राप्त किया जायेगा।
7. चिकित्सक द्वारा इस आदेश की प्रति का प्रिंट विभाग की वेबसाईट से डाउनलोड कर अपनी उपस्थिति मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी टोंक को प्रस्तुत की जा सकती है।
8. उक्त चिकित्सक को कार्यग्रहण कराते समय मेडिकल ज्यूरिष्ठ/मु.चि.एवं स्वा. अधि. से शारीरिक स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, सम्बन्धित जिले के पुलिस अधीक्षक द्वारा जारी पुलिस वेरिफिकेशन प्रमाण–पत्र, शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यता, जाति, विकलांग सर्टिफिकेट, यदि चिकित्सक विवाहित है तो विवाह सर्टिफिकेट, राजस्थान डेन्टल काउन्सिल का नवीन पंजीयन प्रमाण–पत्र व अन्य प्रमाण पत्र प्राप्त करें।
9. चिकित्सक द्वारा प्रस्तुत कोई भी प्रमाण पत्र/दस्तावेज फर्जी, परिवर्तित अथवा कूटरचित पाये जाने पर नियुक्ति आदेश स्वतः ही निरस्त माने जावेंगे। साथ ही दोषी के विरूद्व न्यायिक/दण्डिक कार्यवाही की जावेगी।
10. प्रमुख चिकित्सा अधिकारी लाडनूं, नागौर द्वारा चिकित्सक के समस्त मूल दस्तावेज प्राप्त कर जारी करने वाली सम्बन्धित संस्था से सत्यापन करायेंगे। सत्यापन होने एवं सही पाये जाने पर ही चिकित्सक को उनके मूल दस्तावेज लोटाये जायेंगे। अन्य परिस्थिति में प्रमाण पत्र वापस नहीं किये जावेंगे। यदि कोई दस्तावेज फर्जी अथवा कूटरचित पाया जावे तो तत्काल निदेशालय से मार्ग दर्शन प्राप्त करें।
11. गर्भवती महिलाओं के लिए कार्मिक (क–2) विभाग के परिपत्र क्रमांक प015(1)कार्मिक/क–2/74 दिनांक 16.08.02 मे वर्णितानुसार नियुक्ति आदेश प्रभावी होंगे।
12. यह नियुक्ति सम्बन्धित सेवा नियमों एवं सरकार द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों एवं शर्तों के अध्यधीन है।

कृ.पृ.उ.

13. राज्य सरकार के परिपत्र कमांक प.6(19)गृह–13/2006 दिनांक 22.05.2006 के अनुसार इस परिपत्र के जारी होने की दिनांक से राजकीय सेवा में नियुक्ति हेतु विवाह पंजीयन कराया जाना अनिवार्य किया गया है। ऐसे अभ्यर्थियों द्वारा यदि विवाह पंजीयन नहीं करवाया गया है तो वे इस नियुक्ति के पात्र नहीं माने जावेंगे। परिपत्र दिनांक 22.05.2006 के जारी होने से पूर्व विवाहित अभ्यर्थियों को इस आशय का नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पेपर पर शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।

14. अन्य पिछडा वर्ग एवं विशेष पिछडा वर्ग का नवीनतम जाति प्रमाण पत्र कार्यग्रहण करने की तिथि से छःमाह पूर्व तक की अवधि का राजस्थान राज्य के सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र में जारी किया हुआ होना चाहिए, जिसमें कीमीलेयर/नॉनकीमीलेयर की प्रविष्टि स्पष्टतः अंकित होनी चाहिए। इन वर्गो के कीमीलेयर अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ देय नहीं है।

15. ऐसे अभ्यर्थी जो विशेष योग्यजन श्रेणी (वन लेग) में चयनित है, उन्हे अपनी निःशक्तता के सम्बन्ध में चिकित्सा मण्डल (Medical Board) द्वारा जारी मूल निःशक्तता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

16. ऐसे अभ्यर्थी जिनका चयन विधवा अथवा परित्यक्तता श्रेणी के लिए आरक्षित पदो के विरूद्व किया गया है उन्हे इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उनके द्वारा कार्यग्रहण करने की तिथि तक पुर्नविवाह नहीं किया है।

17. इस आदेश की पालना में कार्यग्रहण किये जाने की अंतिम तिथि 03.10.2017 निर्धारित है। निर्धारित तिथिं तक कार्यग्रहण नहीं करने पर नियुक्ति आदेश स्वतः ही निरस्त समझे जायेंगे।

18. कार्यग्रहण करने के लिये किसी प्रकार का यात्रा भत्ता अनुदेय नही है।

निदेशक (जन स्वा0)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान, जयपुर।

कमांकः–संस्था/चि0अ0/एटी/प03/2017/ 331 दिनांक 22/09/2017

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1) विशिष्ठ सहायक, माननीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री महोदय, राज0 जयपुर।
2) **निजि सचिव, प्रमुख शासन सचिव चिकित्सा एव स्वास्थ्य विभाग राजस्थान,जयपुर।**
3) कुलपति, राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, जयपुर।
4) शासन उप सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग (ग्रुप–2), राजस्थान, जयपुर।
5) संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन, संबंधित।
6) रजिस्ट्रार, राजस्थान मेडिकल काउंसिल, जयपुर।
7) उप विधि परामर्शी, मुख्यालय, जयपुर।
8) प्रमुख चिकित्सा अधिकारी लाडनूं, नागौर को भेजकर लेख है कि **अभ्यार्थी के कार्यग्रहण के समय संतानों के संबंध में वचन पत्र एवं यदि शादी–शुदा हो तो मेरिज सर्टिफिकेट, प्राप्त कर मूल ही अभ्यार्थी के कार्यग्रहण की सूचना भिजवाने के समय अनिवार्य रूप से साथ में भिजवावें एवं छाया प्रति आपके कार्यालय हेतु रख लें।**
9) डॉ0 शिव शंकर गौतम, केस प्रभारी, मुख्यालय।
10) **डॉ0 अमित गुप्ता पुत्र श्री रमेश चन्द गुप्ता निवासी– बी–7, बुध विहार, अलवर–301001 (रजिस्टर्ड)**
11) संबंधित डीलिंग असिस्टेंट को राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, जयपुर से प्राप्त मूल आवेदन पत्र मय संलग्न दस्तावेजों के, संबंधित जिला पुलिस अधीक्षक से प्राप्त मूल चरित्र सत्यापन एवं चिकित्सक द्वारा प्रस्तुत सत्यापन रोल आदि सहित।
12) प्रभारी, कम्प्यूटर सर्वर रूम, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने का श्रम करें।
13) आदेश पत्रावली/ निजि पत्रावली।

निदेशक (जन स्वा0)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान, जयपुर।